लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
003/2023 (GCMS 2023/10)	09.01.2023	31.01.2023

अनवान

धीरज पिता गोविन्द पाटीदार निवासी मकान नंबर 86, वार्ड नंबर 5, गांव जयसिंहपुरा पोस्ट बछाना, तहसील व जिला नीमच (मध्य प्रदेश)

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोर्डेट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी महोदय, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के यहां दिनांक 31.08.2022 को प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी महोदय, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ने अपने पत्रांक/प. 14(3)राजस्व/5/2022 जयपुर दिनांक 20.09.2022 से अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./003/2023(सू.अ.)(31.01.2023)/27 दिनांक 09.01.2023 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 31.01.2023 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 31.01.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रजिस्टर्ड पत्र से सूचित करने के बावजूद अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं आए। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/09 दिनांक 16.01.2023 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री धीरज पाटीदार पिता गोविन्द पाटीदार निवासी मकान नंबर 86, वार्ड नंबर 05, गांव जयसिंहपुरा, पोस्ट बछाना, तहसील व जिला नीमच, मध्यप्रदेश द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 31.08.2022, श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी महोदय, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक/प.14(3) राजस्व/5/2022 जयपुर दिनांक 20.09.2022 से इस कार्यालय में दिनांक 27.09.2022 को प्राप्त हुआ हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना तहसीलदार निम्बाहेड़ा से संबंधित होने से वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/367 दिनांक 28.09.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को उक्त आवेदन से वांछित सूचना विधिवत् तैयार कर सीधे ही प्रार्थी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया हैं एवं इस संबंध में समसंख्यक पत्रांक से प्रार्थी को भी अवगत कराया जा चुका हैं।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में तहसीलदार निम्बाहेड़ा के पत्रांक/सूचना का अधिकार/2022/20 दिनांक 23.12.2022 से प्रार्थी को अवगत कराया जा चुका हैं।
4. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत कराये जाने के उपरान्त इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं, जिससे अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।
5. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/9 दिनांक 16.01.2023 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/367 दिनांक 28.09.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा को अवगत कराया गया। इस पर तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा अपने पत्रांक/सूचना का अधिकार/2022/20 दिनांक 23.12.2022 से प्रार्थी को उसके द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वांछित सूचना के संबंध में सूचित करा दिया गया हैं। परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 26.12.2022 से यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी को दिनांक 26.12.2022 तक अपने आवेदन के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के आवेदन से संबंधित तहसीलदार निम्बाहेड़ा के पत्रांक/सूचना का अधिकार/2022/20 दिनांक 23.12.2022 की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित करते हुए अपील अपीलार्थी निस्तारित की जाती हैं।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **31.01.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)